मद 4 (1) (ख)-(ii)

इसके अधिकारियों एवं कार्मिकों की शक्तियां एवं कर्तव्य

इसके अधिकारियों एवं कार्मिकों की शक्तियां एवं कर्तव्य

निगम की सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना बनी हुई है तथा ओर्गेनोग्राम के अनुसार सीएमडी के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत विविध विभागों/प्रभागों के माध्यम से कार्य किए जाते हैं।

निगम कार्यालय में अधिकारियों की विभिन्न श्रेणी के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य शक्तियों के विवरण को कंपनी की शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) में इंगित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, निगम के अधिकारियों और कार्मिकों को विभिन्न ग्राहकों, उपभोक्ताओं और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ अपने कर्तव्यों का संतोषजनक रूप से निर्वहन करने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

नियम/आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियां एवं कर्तव्य निर्धारित और उपयोग किए जाते हैं

शक्ति के प्रत्यायोजन के माध्यम से सशक्तीकरण की योजना सुनिश्चित करती है कि व्यापार और सेवारत ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के निपटान से संबंधित विभिन्न मुद्दों को पर्याप्त गति के साथ सूचित किया जाता है जिससे गुणवत्ता सेवा सुनिश्चित होती है।

शक्तियों का प्रत्यायोजन दस्तावेज़ व्यापक रूप से ऊपर से नीचे की ओर जाता है जिसमें निदेशक मंडल निर्णय लेने का सर्वोच्च निकाय होने के नाते कारोबारी निर्णयों का निपटान करता है तथा इसी के साथ ही पर्याप्त एवं शीघ्र निर्णयन के लिए ये शक्तियां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक और इससे नीचे के कार्मिकों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

कार्य आबंटन

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और कार्य आबंटन नागरिक चार्टर का हिस्सा हैं और नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है: -

नागरिक चार्टर